124

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 786–दो/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2015 – पारित व्दारा – तहसीलदार बड़ौदा जिला श्योपुर – प्रकरण कमांक 2/2014–15 अ–6–अ

कारज सिंह पुत्र बेअंत सिंह सिक्ख
ग्राम भैरूखेड़ी तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर ––आवेदक

विरूद्ध

शिवचरण पुत्र जयसिंह
कबीर आश्रम श्योपुर, तहसील व जिला श्योपुर ––––अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सुरेश कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक ९ – ९ –2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार बड़ौदा जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2/2014–15 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 30–3–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार बड़ौदा को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम फिलोजपुरा की भूमि स0क0 297 रकबा 12 वीघा 19 विसवा पर आवेदक के नाम फर्जी तरीके से इन्द्रोज हो रहा है मेरे व्दारा भूमि का किसी

को विक्रय अनुबंध नहीं किया गया है। इसलिये दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाय एंव भूमि का कब्जा दिलाया जाय। तहसीलदार बड़ौदा ने प्रकरण कमांक 2/2014-15 अ-6-अ पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सूचना पत्र जारी किया। तहसीलदार की आर्डरशीट दिनांक 30-3-15 के अनुसार आवेदक को जारी कारण बताओ नोटिस पर तामील कुनिन्दा व्दारा टीप अंकित की गई कि कारज सिंह घर पर नहीं मिला व घरवालों व्दारा तामील लेने से इंकार किया गया। तहसीलदार व्दारा आवेदक के घर पर चस्पीदगी से तामील कराई गई । पेशी 30-3-15 पर आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सोनी ने उपस्थित होकर धारा 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुतकर दस्तावेजों की नकलें दिये जाने की मांग रखी। तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 30-3-15 में आवेदक के अभिभाषक को दस्तावेजों की नकल देने एंव प्रकरण आवेदक के जवाव हेतु पेशी 4-4-15 नियत की। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने से एंव निगरानी मेमो में अंकित आधारों से परिलक्षित कि तहसीलदार बड़ौदा ने अंतरिम आदेश दिनांक 30-3-15 से दस्तावेजों की नकल देने एंव आवेदक के जवाव हेतु प्रकरण में पेशी 4-4-15 नियत की है। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 30-3-15 अनुसार आवेदक ने दस्तावेजों की नकल लेने

एंव अपना जवाव प्रस्तुत करने का प्रयास क्यों नहीं किया, और उसके व्दारा ऐसा न करते हुये विचाराधीन निगरानी में इस न्यायालय से तहसीलदार को सुनवाई एंव साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देने के डायरेक्शन दिये जाने की मांग क्यों की है जबकि उन्हें तहसीलदार बड़ौदा पेशी 4-4-15 नियत करके आवेदक को बचाव प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान कर रहे हैं। विचाराधीन निगरानी इन्हीं कारणों से बेबुनियाद है । ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक जानबूझकर व्यवधान पैदा करके तहसीलदार के प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं होने देना चाहता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार बड़ौदा जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 30-3-2015 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर